

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं  
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,  
लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- अशोकनगर जिले में जल जीवन मिशन अन्तर्गत राजघाट समूह जल प्रदाय योजना के तहत भूमिगत पाईप लाईन, एम.बी.आर. तथा पहुंच मार्ग निर्माण हेतु 3.885 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, गुना को उपयोग पर देने बाबत।  
(ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/WATER/145554/2021)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPB 062/2023- BHO/I/74901 दिनांक 18.06.2024

-----0-----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक शर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

#### शर्त-A

- 1- शर्त क्रमांक A(1) के पालन में आवेदक संस्थान ने वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की लागत राशि रु0 57,25,321/- यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 16.07.2024 को ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।
- 2- शर्त क्रमांक (2) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण में दी गई गैर वनभूमि वन विभाग को हस्तांतरित/नामान्तरित कर दी गई है। कलेक्टर का आदेश, फार्म पी-2 आदि की छायाप्रति ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड है।
- 3- शर्त क्रमांक (3) के पालन में प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत वन अधिसूचित करने की कार्यवाही प्रचलित है।
- 4- शर्त क्रमांक (4) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रुपये 37,20,975/- यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 16.07.2024 को ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।
- 5- शर्त क्रमांक (5) के पालन में प्रकरण में प्राप्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि एवं नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि दिनांक 16.07.2024 को एड-हॉक कैम्पा के अन्तर्गत यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।
- 6- शर्त क्रमांक (6) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर अशोकनगर का प्रमाण पत्र दिनांक 29.07.2024 ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड है।

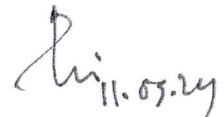
- 7- शर्त क्रमांक (7) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
- 8- शर्त क्रमांक (8) के पालन में वन मण्डलाधिकारी अशोकनगर द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 23.08.2024 द्वारा लेख किया है कि परियोजना में स्वीकृत वनभूमि के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए वनभूमि का उपयोग नहीं किया जावेगा, जिसका पालन कराया जावेगा।
- 9- शर्त क्रमांक (9) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि पाईप लाईन बिछाने के पश्चात पुनः मिट्टी को गड्ढों में भर दिया जावेगा, जो शेष मिट्टी रह जायेगी, वन विभाग के वनक्षेत्र के बाहर निपटान किया जायेगा, वचन पत्र ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड है।
- 10- शर्त क्रमांक (10) के पालन में ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर व्यपवर्तित वनक्षेत्र एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की KML file अपलोड कर दी गई है, जिसका ID No. 54405 है।
- 11- शर्त क्रमांक (11) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
- 12- शर्त क्रमांक (12) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन पोर्टल में अपलोड कर दिया है।

**शर्त-B**

- 1- शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
- 2- शर्त क्रमांक (2) के पालन में प्रकरण में आपके द्वारा दिए गए निर्देशानुसार वृक्षारोपण का कार्य किया जावेगा।
- 3- शर्त क्रमांक (3) के पालन में आवेदक संस्था द्वारा अतिरिक्त एन.पी.वी. जमा करने का वचन पत्र ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।
- 4- शर्त क्रमांक (4) से (7) तक के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
- 5- शर्त क्रमांक (8) के पालन में वन मण्डलाधिकारी अशोकनगर द्वारा लेख किया है कि व्यपवर्तित वनभूमि को आवेदक संस्था के परियोजना लागत पर सीमांकित किया जावेगा।
- 6- शर्त क्रमांक (9) से (14) तक के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
- 7- शर्त क्रमांक (15) के पालन में वन मण्डलाधिकारी अशोकनगर द्वारा लेख किया है कि राजघाट नगर के पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का संबंध संबंधित आवेदक संस्था का है।
- 8- शर्त क्रमांक (16) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय

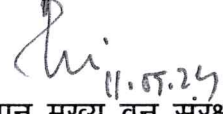
  
(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक/एफ-5/1322/2023/10-11/4818

भोपाल, दिनांक 11-9-24

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, अशोकनगर, मध्यप्रदेश।
3. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश, जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, गुना, म.प्र.  
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल